<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैत्त</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 787 / 15</u> <u>संस्थापन दिनांक:-21 / 12 / 15</u> <u>फाईलिंग नं. 233504001172015</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्ध

युसुफ फकरी पिता शब्बीर हुसैन, उम्र 32 वर्ष, निवासी वार्ड न. 8, गोविंद कॉलोनी आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 11.03.2017 को घोषित)

- प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 452, 506 भाग—दो भा0दं०सं० के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 18.12.2015 को समय रात करीब 12:00 बजे, स्थान थाना आमला से आधा किमी पश्चिम में आमला बस स्टेंड स्थित फरियादी के घर पर लोक स्थान या लोक स्थान के समीप फरियादी शाहीन को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी शाहीन के घर में उपहित, हमला या सदोष अवरोध कारित करने या किसी व्यक्ति को उपहित, हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 18.12. 2015 को उसके घर में उसके बच्चों के साथ थी। तभी रात्रि करीब 12 बजे अभियुक्त उसके घर के सामने आया और उसे मां बहन की अश्लील गालियां देने लगा। उसने घर के अंदर से आवाज लगायी तो अभियुक्त उसके घर का दरवाजा धकाकर घर में घुस गया और उससे कहा कि यदि वह बलात्कार के केस में बयान नहीं बदलेगी तो वह उसे जान से खत्म कर देगा। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 639/15 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
- 2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
- 3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
- 4. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी शाहीन के घर में उपहति, हमला या सदोष अवरोध कारित करने या किसी व्यक्ति को उपहति, हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया ?
- 5. क्या अभियुक्त ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
- 6. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 05 का निराकरण

- 5 फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने के संबंध में फरियादी ने उसके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन नहीं किये है। इस संबंध में साक्षी मुश्कान (अ.सा.—2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त ने उसकी मम्मी के साथ गाली गलौच की थी। साक्षी जानू (अ.सा.—3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में व्यक्त किया है कि घटना के समय अभियुक्त ने उसकी मम्मी को मां बहन की गंदी गांदी गालियां दी थी।
- 6 साक्षी मुश्कान (अ.सा.—2) एवं जानू (अ.सा.—3) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त द्वारा घटना के समय उनकी मम्मी को मां बहन की गंदी गंदी

गालियां दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा किन—किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामिकशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा. दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 अभियुक्त द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन प्रकट नहीं किये हैं। अतः साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 506 भाग—2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

- 8 शाहिन बानो (अ.सा.—1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना रात्रि 12 बजे की उसके घर की है। घटना दिनांक को अभियुक्त घर पर आया और उससे अन्य प्रकरण में दी गयी गवाही को बदलने के लिए कहा। उसकी बेटी मुश्कान ने अभियुक्त को घर से जाने के लिए कहा था। साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया है कि इस संबंध की रिपोर्ट उसने थाने में की थी।
- 9 मुश्कान (अ.सा.—2) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घ । दना के समय अभियुक्त घर में आकर बयान बदलने की धमकी दे रहा था। उसकी मां से बहस करने के बाद अभियुक्त घर चला गया था। जानू (अ.सा.—3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना रात के लगभग 12 बजे की घर के बारह की है। अभियुक्त घर के सामने उसकी मां शाहिने बानों को गालियां दे रहा था। किस बात को लेकर गाली दे रहा था उसे इस बात की जानकारी नहीं है। उपर्युक्त दोनों साक्षीगण से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी जानू (अ.सा.—3) ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी कथन नहीं किये हैं परंतु साक्षी मुश्कान (अ.सा.—2) ने अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर यह बताया है कि जब उसकी मां ने अभियुक्त को गालियां देने से मना किया तो अभियुक्त जबरदस्ती धक्का देकर घर के अंदर घुस आया था।
- 10 परवेज (अ.सा.—4) जो कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी है उसने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के समय अपने घर पर टीवी देख रहा था उसे आवाजें आयी थी जब वह मौके पर पहुंचा तो कोई नहीं मिला था। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं।

प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 02 में साक्षी ने यह बताया है कि घटना के समय वह सो रहा था। घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार साक्षी न तो अपने कथनों पर स्थिर है और न ही उसने अभियोजन का समर्थन किया है इसलिए उक्त साक्षी विश्वसनीय नहीं रह जाता है। अतः अभियोजन को उपर्युक्त साक्षी के कथनों से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

- 11 प्रशांत शर्मा (अ.सा.—5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 20. 12.2015 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क. 639 / 15 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री—3) एवं दिनांक 20.12.2015 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री—7) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित भी किया है।
- वचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में साक्षी मुश्कान एवं जानू हितबद्ध साक्षी है तथा फरियादी एवं साक्षियों के कथनों में पर्याप्त भिन्नता है। साक्षीगण अपने कथनों पर स्थिर भी नहीं है इसलिए अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जावे। जबिक अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।
- वचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि मात्र हितबद्ध साक्षी होना ही किसी साक्षी की साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का आधार नहीं होता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत वीरेंद्र पोददार विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 233 में यह प्रतिपादित किया गया है कि रिश्तेदारी किसी गवाही की साक्ष्य को अविश्वसनीय मानने का आधार नहीं हो सकती है। ऐसे गवाह की साक्ष्य की सावधानी से छानबीन अपेक्षित है। अतः अभिलेख पर उपलब्ध साक्षी / फरियादी शाहिन बानों, मुश्कान एवं जानू के कथनों से यह देखा जाना है कि उनके कथनों पर विश्वास कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित माना जा सकता है अथवा नहीं।
- 14 शाहिन बानो (अ.सा.—1), मुश्कान (अ.सा.—2), जानू (अ.सा.—3) ने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में रात्रि 12 बजे घर पर अभियुक्त का आना तथा फरियादी शाहिन बानो से विवाद होना बताया है। शाहिन बानो (अ.सा.—1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त युसुफ से उसके निजी संबंध है। अभियुक्त उसके घर आता जाता रहता है उसका खाना उठना बैठना है। अभियुक्त उसके घर में रहा भी था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 07 में साक्षी ने यह बताया है कि जब अभियुक्त उसके द्वारा की गयी बलात्कार के मामले में जमानत पर छूटा था तब वह उसके घर में ही रहता था तथा साथ में खाना पीना उठना बैठना करते रहता था और तब उसके संबंध भी बने रहे। पैरा क. 08 में साक्षी ने यह

बताया है कि रात के 12 बजे, 1, 2 बजे जब भी युसुफ की इच्छा होती थी वह उसके घर आता था और जब वह दरवाजा ठोकता है चिल्लाता है तो वह दरवाजा खोल देती है। इसी पैरा में साक्षी ने यह भी बताया है कि यदि अभियुक्त उसे एक लाख रूपये दे दे तो वह कार्यवाही नहीं चाहती है और उससे शादी भी करना चाहती है और साक्षी ने यह भी बताया है कि यदि अभियुक्त उससे शादी कर ले, पत्नी का दर्जा दे दे तो वह उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है।

15 मुश्कान (अ.सा.—2) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 03 में यह बताया है कि अभियुक्त और उसकी मां के बीच प्रायः लड़ाई झगड़ा होते रहता है। इसी पैरा में साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त और उसकी मां पित पत्नी की तरह रहते हैं। जब उसकी मां अभियुक्त से शादी के लिए कहती है तो अभियुक्त मना कर देता है। पैरा क. 04 में साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त ने उसकी मां से शादी नहीं की इसलिए मां ने रिपोर्ट की। इसी पैरा में साक्षी ने बताया है कि हाटना के समय वह सो रही थी बाहर किसने चिल्लाया उसने नहीं देखा। पैरा क. 05 में साक्षी ने यह बताया है कि उसने पुलिस को यह नहीं बताया था कि अभियुक्त उनके घर पर जबरदस्ती घुसा था। जानू (अ.सा.—3) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 02 में यह बताया है कि घटना के समय वह सो रहा था उसे उसकी मां और अभियुक्त के बीच हुए विवाद की जानकारी नहीं है। उसके सामने कुछ नहीं हुआ था।

प्रकरण में फरियादी शाहिन बानो (अ.सा.-1) की लिखित रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गयी थी परंतु साक्षी शाहिन बानो (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 04 में यह बताया है कि उसके लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श प्री–1) पर उसके हस्ताक्षर नहीं है न ही आवेदन उसकी हस्तलिपि में है। घटना दिनांक 18.12.2015 की है। जबिक घटना की रिपोर्ट थाने में दिनांक 20.12.2015 को थाने में लिखित आवेदन देकर की गयी है। साक्षी शाहिन बानो (अ.सा.-1), मुश्कान (अ.सा.–2), जानू (अ.सा.–3) के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। साक्षी मुश्कान (अ.सा.–2) एवं जानू (अ.सा.–3) प्रतिपरीक्षण में अपने कथनों पर स्थिर नहीं है। शाहिन बानो (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त से उसके निजी संबंध हैं। अभियुक्त का उसके घर आना जाना लगा रहता है। रात्रि में भी अभियुक्त किसी भी समय उसके घर आ जाता है। स्वयं फरियादी के कथनों से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि घटना दिनांक को अभियुक्त किसी तैयारी के साथ फरियादी के घर पर आया हो। साथ ही स्वयं फरियादी के कथनों से यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त का आशय किसी अपराध को कारित करने का या फरियादी को अभित्रस, अपमानित या क्षुब्ध करने का रहा हो। फरियादी ने अपने परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त ने उसके द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में की गयी बलात्कार की रिपोर्ट में बयान बदलने की धमकी घटना दिनांक को दे रहा था परंतु तत्पश्चात फरियादी ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त के विरूद्ध बलात्कार का मामला दर्ज किये जाने के बाद भी उसके अभियुक्त से निरंतर संबंध बने रहे।

17 फरियादी द्वारा लिखित आवेदन (प्रदर्श प्री—1) पर अपने हस्ताक्षरों से इनकार किया गया है जिसके आधार पर ही प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गयी है। विलंब का कोई भी समुचित स्पष्टीकरण फरियादी के कथनों से प्रकट नहीं हो रहा है। स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। स्वयं फरियादी के पुत्र एवं पुत्री मुश्कान (अ.सा.—2) एवं जानू (अ.सा.—3) अपने कथनों पर स्थिर न होने के कारण विश्वसनीय नहीं हैं। फरियादी शाहिन बानो (अ.सा.—1) ने अभियोजन कथा से हटकर न्यायालय में कथन किये हैं। साक्षी अपने कथनों पर भी स्थिर नहीं है। उसके कथनों का समर्थन किसी भी साक्षीगण के कथनों से नहीं होता है। अभियुक्त एवं फरियादी के बीच में पहले से ही बिना विवाह संबंध स्थापित हैं तथा स्वयं फरियादी ने अभियुक्त द्वारा उससे शादी कर लिये जाने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही न किया जाना प्रकट किया है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित होती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

विचारणीय प्रश्न क. 06 का निराकरण

18 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या लोक स्थान के समीप फरियादी शाहीन को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी शाहीन के घर में उपहित, हमला या सदोष अवरोध कारित करने या किसी व्यक्ति को उपहित, हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्त युसुफ को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 452, 506 भाग—दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

19 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

20 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित। तथा दिनांकित कर घोषित ।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)